फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अजमेर

कैलाश नाथ भार्गव .... बनाम सरकार व अन्य ....

किस्म बाजदायरी प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 33/1999......सन ....

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही श्री श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
19.2.2020	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित । पेशकार सरकार ने न्द ने निवेदन किया गया कि प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय आदेशिका दिनांक, 30.12.2011, 22.3.2017, 18.9.19, 15.1.20 की पालना मे अखबार साया की प्रति प्रस्तुत नही की गई है । जिसे न्यायालय आदेशो की अदम पालना में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे पेशकार सरकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि होकर न्यायालय आदेश दिनांक 30.12.2011, 22.3.2017, 18.9.19, 15.1.20 के बावजूद कई अवसर प्राप्त किए जाने के उपरान्त भी पालना नही की गई है। 'जिससे प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता की उक्त बाजदायरी को चलाए जाने में ना तो किसी प्रकार की कोई रूचि प्रकट होना प्रतीत होती है इस प्रकार कानूनी प्रावधानो के तहत प्रार्थी अपने हक अधिकारो के प्रति सजग नही रहता है उसकी न्यायालय की किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नही कर सकता है। अतः प्रार्थी का बाजदायरी न्यायालय आदेशो की अदम पालना में निरस्त कर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी अजमेर	

Scanned by CamScanner